भीषण गर्मी में किसानों ने प्रशासन के खिलाफ निकाला रोष मार्च, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

प्रदेशाध्यक्ष बोले- डीसी किसी से मिलना नहीं चाहते

करनाल, 9 जून (हप्र)

आसमान से पड़ रही भयंकर गर्मी में भाकियू के बैनर तले सोमवार को किसानों ने रोष मार्च निकालकर प्रशासन पर कई गंभीर आरोड़ जड़े। भाकियू प्रदेशाध्यक्ष रतन मान ने आरोप लगाते हुए कहा कि किसान पिछले 6 दिनों से शांतिपूर्वक धरना, प्रदर्शन कर रहे है, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने किसानों की सुध नहीं ली। उन्होंने डीसी करनाल पर सीधे आरोप जड़ते हुए कहा कि डीसी किसी से मिलना नहीं चाहता, बात नहीं सुनना चाहता। डीसी के किसान विरोधी रवैये के चलते किसानों को जानलेवा गर्मी में सड़क पर उतरकर अपनी बात कहनी पड़ रही है।

उन्होंने कहा कि 6 जिलों करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल, जींद ओर अम्बाला के भाकियू के पदाधिकारी महात्मा गांधी चौक पर एकत्रित हुए। जहां से किसान विरोध प्रदर्शन करते हुए सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय पहुंचे, जहां पर किसानों ने प्रशासन ओर रेत कारोबारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन के बाद किसानों ने प्रदेशाध्यक्ष रतनमान के नेतृत्व में एसडीएम अभिनव मेहता को सीएम नायब सैनी के नाम ज्ञापन सौंपा।

प्रदेशाध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की जमीन नहीं छीनने देंगे, प्रशासन ने जबरदस्ती मुस्तफाबाद के कई किसानों की जमीन पर कब्जा करवाने का काम किया है। किसान की मर्जी के खिलाफ किसानों के खेतों में रेत डाली गई, जब विरोध किया, तब रेत डालने का काम रुका। आज तक खनन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा किसानों पर केस दर्ज कर लिए गए।

करनाल में भाकियू के बैनर तले प्रदेशाध्यक्ष रतन मान के नेतृत्व में रोष प्रदर्शन करते किसान। -हप्र

भारतीय किसान यूनियन
हरियाणा
जिला करनाल

ये हैं किसानों की मांगें

किसानों के खेतों में कुछ जगहों पर जबरी तौर से रेत डाल दिया गया है, जिसका विरोध करने पर रोक दिया गया है। उसकों आने वाले 10 दिनों के भीतर उठाया जाए ताकि किसान धान की फसल की रोपाई कर सके।

मुस्तफाबाद गांव में जिस भूमि पर रेत का स्टॉक किया जा रहा है। उसके साथ बिलकुल राजकीय प्राइमरी पाठशाला व आंगनबाड़ी भी है, जिसके चलते स्थिति खराब हो रही है, इसका समाधान किया जाए। यमुना नदी में अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है, जिसके साथ यमुना नदी के प्राकृतिक अस्तित्व को भी नष्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से यमुना नदी की पटड़ी टूटने का कारण बनता दिखाई पड़ रहा है। बाढ़ आने की स्थिति में जानमाल नुकसान हो सकता है। मुस्तफाबाद गांव, डाकवाला रोडान, डाकवाला गुजरां सहित आसपास के कई गांव की सड़कें भारी डंपरों के चलने से तहस-नहस हो गई हैं। लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है।

सर्वसम्मति से किया प्रस्ताव पास

प्रदर्शन में किसानों की सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि इस मामले में जिला प्रशासन किसी प्रकार से जबरी रवैया न अपनाए। इस अवसर पर अंबाला जिला के कार्यकारी प्रधान रूप सिंह, यमुनानगर प्रधान सुभाष गुर्जर, कुरुक्षेत्र प्रधान मदनपाल, करनाल प्रधान सुरेंद्र घुम्मन, जींद प्रधान बारूराम, शाम सिंह मान, सुरेंद्र सागवान, सहित काफी संख्या में किसान शामिल थे।

करनाल के एसडीएम बोले

करनाल के एसडीएम अनुभव मेहता ने बताया कि मुस्तफाबाद गांव में किसानों की जमीन हरियाणा माइनिंग मिनरल रूल्स 2012 के अंतर्गत डबरकीपार माइनिंग ब्लॉक का हिस्सा है और इन्हीं नियमों के तहत ये भूमि ली गई है तथा इसके लिए किसानों को उचित किराया भी निर्धारित किया गया है। यदि किसानों को इससे जुड़ी कोई भी बात रखनी है तो जिला प्रशासन हर वक्त उनकी बात सुनने के लिए तैयार है।

वार्डों और गांवों में स्वच्छता कमेटियां गठित कर चलाएं अभियान : सुभाष चंद्र

अम्बाला शहर, 9 जून (हप्र)

जब तक स्वच्छ भारत अभियान को सामाजिक जनांदोलन नहीं बनाया जाएगा तब तक इसके उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा है कि शहरों में अपने अपने वार्ड और गांवों में वहां की ग्रामीण की स्वच्छता कमेटियां बनाएं। स्वच्छता कमेटियां महीने में एक बार स्वच्छता अभियान चलाए। उसमें अधिकारी भी शामिल हो। यह निर्देश आज स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने दिए। वह अम्बाला शहर में जिला स्तरीय स्वच्छता कार्यशाला को मुख्यातिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नायब सरकार के कार्यकाल का दूसरा चरण चल रहा है। उन्होंने कहा कि पहले 22 जिलों में जाकर अधिकारियों के साथ बैठकर हमने योजना बनाई थी। अब दूसरे चरण में स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े अधिकारियों को बुलाकर इस अभियान का सामाजीकरण करने के लिए कहा जा रहा है। इस अवसर पर विशाल सिंगला, पवन शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। स्वच्छ भारत मिशन की कोऑर्डिनेटर रितु शर्मा ने बताया कि स्वच्छता को लेकर अंबाला जिले में अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र को बताया कि अंबाला सदर परिषद द्वारा गोबर से लकड़ी व गमले बनाने का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा खाद भी तैयार की जा रही है, जो अबाला छावनी के विभिन्न पार्कों में प्रयोग की जा रही है।

पुलिस की राडार पर 12 सट्टा कारोबारी, जारी होगा लुकआउट नोटिस

एयरपोर्ट अथॉरिटी को लिखा

मदन लाल गर्ग/हप्र

फतेहाबाद, 9 जून

जिले में फैले क्रिकेट सट्टे के काले कारोबार पर जिला पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। फतेहाबाद के एसपी सिद्धांत जैन की मानें तो पुलिस के राडार पर फतेहाबाद के 12 ऐसे लोग हैं, जिन पर पुलिस को सट्टे के काले कारोबार में संलिप्त होने की पूरी आशंका है, पुलिस इन पर कार्रवाई की तैयारी में है। ये लोग देश छोड़कर न जा सकें इसके लिए भी जिला पुलिस द्वारा कवायद की जा रही है।

एसपी सिद्धांत जैन ने बताया कि उनके द्वारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को पत्र लिख कर इन लोगों के फोटो के साथ की जानकारियां साझी की जा रही हैं और प्रयास किया जा रहा है कि इनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया जा सके ताकि अगर ये लोग देश छोड़कर जाने की फिराक में हो तो इन्हें रोका जा सके। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सट्टेबाजी के लिए प्रयोग की जा रही एप और पोर्टल को भी बंद करवाने का प्रयास जिला पुलिस द्वारा शुरू किया जा चुका है।

जिला पुलिस की ओर संबंधित एप/पोर्टल को बंद करवाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट सट्टे की बैटिंग ऐप की होस्टिंग कंपनी देश से बाहर की है। उन्होंने बताया कि क्रिकेट बैटिंग ऐप आल पैनल एक्सचेंज पर आईडी देकर सट्टे में शामिल कर लेते हैं। उन्होंने बताया कि गूगल सर्च इंजन को भी लिखा गया है कि उक्त एप को अपनी सर्च से हटाएं ताकि इस एप तक पहुंचना आसान न हो।

प्रॉपर्टी अटैच करने की तैयारी

एसपी सिद्धांत जैन ने बताया कि हरियाणा प्रीवेंशन ऑफ पब्लिक गैंबलिंग एक्ट-2025 के तहत क्रिकेट सट्टे से जुड़े सट्टा कारोबारियों की प्रॉपर्टी डिटेल भी एकत्र कर ली गई है अब इनकी प्रॉपर्टी को अटैच किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अदालत की मार्फत इनकी प्रॉपर्टी अटैच करने की अनुमति मांगी जाएगी। एसपी ने बताया कि पिछले 10 दिनों के अंदर 2 एफआईआर दर्ज कर पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो कि इस कारोबार में संलिप्त थे। इनमें गगन कुमार, अनिल कुमार, पंकज व पिन्नू शामिल है, इन्हें पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस को इनसे कई सट्टेबाजों की जानकारी मिली है, जिन्हें सर्विलांस पर लिया गया है।

गौरतलब है कि जिले में पिछले कुछ सालों में नशे की तरह क्रिकेट सट्टेबाजों का भी जाल सा बिछ गया है। कुछ महीनों में ही क्रिकेट बैटिंग ऐप पर सट्टा लगवाने वालों की बेतहाशा बढ़ी प्रॉपर्टी को देखकर सैकड़ों की संख्या में उच्च शिक्षित युवा इस धंधे की ओर आकर्षित हुए हैं। पिछले कुछ समय से जिले के बाहर पकड़े जाने वाले सट्टेबाजों में फतेहाबाद के युवा भी पकड़े गए हैं, परंतु इससे पहले फतेहाबाद में कभी सट्टेबाजों पर इतनी बड़ी कारवाई नहीं की गई। ऐसा भी इतिहास में पहली बार होगा कि सट्टेबाजों की प्रॉपर्टी जब्त व उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होगा।

जिले में सट्टेबाजों से जुड़े करीब डेढ़ साल पुराने मामले को भी खंगाला जा रहा है। इस मामले में सट्टे से जुड़े लोगों ने एक गरीब महिला को केंद्रीय स्कीम का लालच देकर उसका बैंक खाता खोलकर लाखों की ट्रांजेक्शन कर दी। पुलिस ने महिला की शिकायत को बीस दिन रखकर समझौता करवा दिया। इस मामले में एक परिषद पार्षद का नाम आया था।

किसान की मौत की हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो जांच : दीपेन्द्र हुड्डा

पानीपत, 9 जून (हप्र)

हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान व सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने सोमवार शाम को गांव निजामपुर के मृतक किसान बिजेंद्र संधू के आवास पर पहुंच कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान व सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने शोकाकुल परिवार से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाया और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। पीड़ित किसान परिवार के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने मांग की कि आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी हो और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में न्यायिक जांच हो। कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि 2 जून को निजामपुर गांव के किसान बिजेंद्र संधू की हत्या हुई थी। मरने से पहले मृतक किसान ने बयान दिया है लेकिन भाजपा सरकार अभी तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री बिजेंद्र सिंह कादियान, पूर्व विधायक बलबीर वाल्मीकि, धर्मपाल गोंदर व राकेश कंबोज, विरेन्दर बुल्ले शाह, सचिन कुंडू, जयदीप धनखड़, खुशीराम जागलान, सुरेंद्र नरवाल, महिपाल सूबेदार, शौर्यवीर कादियान, धर्मेन्द्र अहलावत, दीपक खटखड, संदीप कौशिक, राजेश वैद्य, सतपाल रोड, पराग गाबा, राम शरण भोला, सुमित, बिजेंद्र व प्रियांश मलिक आदि मौजूद रहे।

'योग दिवस पर सभी बढ़-चढ़ कर लें हिस्सा'

पिहोवा, 9 जून (निस)

भाजपा के वरिष्ठ नेता जयभगवान शर्मा डीडी ने कहा कि योग भारत की एक प्राचीन पद्धति है जो प्रत्येक व्यक्ति को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती है। वे सोमवार को उपमंडल पिहोवा के गांव दीवाना में मार्कंडेय ऋषि मंदिर के शिलान्यास समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने गांववासियों को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान दो बसों की सुविधा विशेष तौर पर गांववासियों के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। 10 दिवसीय गुरमत सिखलाई कैंप लगाया गुरुद्वारा गुरु शरण साहब में गुरु अर्जन देव के शहीदी पर्व के उपलक्ष्य मे 10 दिवसीय गुरमत सिखलाई कैंप लगाया गया। इस समारोह में कुलदीप सिंह मुल्तानी ज्ञानी वरयाम सिंह जोगिंदर सिंह बेदी डाक्टर अवनीत सिंह गुरप्रीत सिंह दलबीर सिंह व धर्म प्रचार कमेटी के सदस्य मौजूद थे। आज कैंप में धर्म प्रचार और सिख धर्म की जानकारी दी गई।

बिजली निगम कार्यालय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग

कलायत (निस) : कलायत स्थित बिजली निगम कार्यालय परिसर में सोमवार शाम करीब 5 बजे बिजली के तारों पर एक पक्षी के बैठने से हुए शॉर्ट सर्किट के कारण सूखी झाड़ियों में आग लग गई। आग लगते ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बिजली निगम के एसडीओ अंकित कुमार ने बताया कि शाम करीब 5 बजे बिजली के तारों पर पक्षी के बैठने से शॉर्ट सर्किट हुआ।

खबर है...

समाधान शिविर में पहुंचे विधायक देवेंद्र अत्री

उचाना में समाधान शिविर में शिकायत सुनते विधायक देवेंद्र अत्री। -निस

उचाना (निस) : सोमवार को उचाना के तहसील परिसर में आयोजित समाधान शिविर में भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जन समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। देवेंद्र अत्री ने कहा कि उचाना विधानसभा मेरा परिवार है। यह मेरा दायित्व बनता है, जिन लोगों ने मुझे अवसर दिया उनकी सेवा करूं। उन्होंने कहा कि लोगों ने भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया है। हमने बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार दी है। देवेंद्र अत्री ने 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित चिनाब ब्रिज को ऐतिहासिक बताया। इस मौके पर एसडीएम दलजीत सिंह, नायब तहसीलदार सुरेश कानूनगो, रामविलास, स्टेनो ज्योति, पब्लिक हेल्थ एसडीओ सुनीता सहित कर्मचारी मौजूद रहे।

भाजपा नेता ने किया लंगर हाल का लोकार्पण

पिहोवा के गांव दीवाना में लंगर हाल का उद्घाटन करते भाजपा नेता। -निस

पिहोवा (निस) : भाजपा नेता जयभगवान शर्मा डीडी ने नगरपालिका वार्ड नंबर 11 की 41 लाख की बनने वाली गली के उद्घाटन समारोह कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य अंत्योदय की नीति पर चलकर लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और प्रदेश का चौमुखी विकास करना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में प्रदेश विकास के मामलों में हर दिन नये आयाम स्थापित कर रहा है। इसके बाद गांव दीवाना में 36 बिरादरी के लिए लंगर हाल का लोकार्पण किया व गांव में युवाओं के स्वास्थ्य के लिए जिम का उद्घाटन किया। इस मौके नगरपालिका अध्यक्ष आशीष चक्रपाणि ने कहा कि वर्तमान सरकार राज नहीं, जनसेवाओं में विश्वास करती है।

रावमावि अकबरपुर के बच्चों ने सीखी गुजराती भाषा

नारायणगढ़ (निस) : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांव अकबरपुर में समर कैंप के समापन अवसर पर प्रधानाचार्य पूनम भारती ने कहा कि समर कैंप में बच्चों ने गुजराती भाषा की वर्णमाला और छोटे-छोटे वाक्य को बोलना व लिखना सीखा है। इसके अतिरिक्त बच्चों को गुजराती संस्कृति और गुजरात राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी भी दी गई। कैंप में बच्चों ने गुजराती नृत्य डांडिया भी सीखा। प्रधानाचार्य ने समर कैंप के सफल आयोजन के लिए संतोष कुमारी, सुजाता रानी व कुमारी रंजना को बधाई दी। कैंप की समाप्ति पर बच्चों को शिक्षकों की ओर से जलपान भी करवाया गया। इस अवसर पर राजेश कुमार, गुलशन कुमार, कपिल शर्मा व सचिन सैनी भी उपस्थित रहे।

किसान संघर्ष समिति गठित

पानीपत (हप्र) : मृतक किसान बिजेंद्र की तेरहवीं पर गांव निजामपुर की चौपाल में सोमवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने मृतक किसान को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा के उपरांत पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिये पंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसान नफे सिंह ने की और संचालन सीटू के राज्य सचिव सुनील दत्त ने किया। इस मौके पर एक 21 सदस्यीय किसान बिजेंद्र संघर्ष समिति का गठन किया गया, जिसमें सात सदस्य तो गांव निजामपुर से लिये गये हैं। इनमें नफे सिंह, मृतक बिजेंद्र का भाई रमेश, सुमेर, जयपाल, सरपंच सत्यवान चहल, पूर्व सरपंच सतपाल और शमशेर शामिल हैं। समिति ने फैसला लिया कि जल्द ही मृतक किसान बिजेंद्र के सभी हत्या आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो 16 जून को प्रदर्शन किया जाएगा। श्रद्धांजलि सभा व पंचायत में सुमित दलाल, सुरेश कोथ, जयकरण कादियान, अभिमन्यु कुहाड़, रवि आजाद, जगजीत सिंह गुल्लर, रामकुमार नंबरदार खोतपुरा, सूरजभान रावल, बहादुर मैहला, हरेंद्र राणा, सोनू मालपुरिया, राजेंद्र छौक्कर, कामरेड सेवा सिंह मलिक, डॉक्टर सुरेंद्र मलिक, राजपाल गाहल्याण, सतेंद्र सिंह एडवोकेट, सुरेंद्र खर्ब एडवोकेट, मनोज जागलान, शमशेर सिंह डिडवाड़ी, जजपा नेता देवेंद्र कादियान, रामनिवास पटवारी, कृष्ण चंदौली, इनेलो नेता मनोज जौरासी, बिंटू मलिक उग्राखेड़ी, फौजी रोहतास आर्य, कृष्ण चंदौली आदि ने विचार रखे।

गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच संपन्न

सीवन, 9 जून (निस)

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) सीवन में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत एक विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया।

इस शिविर की अध्यक्षता वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरकीरत ने की। कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित करना था।

इस अवसर पर महिला चिकित्सकों की एक टीम ने गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की, जिसमें वजन, रक्तचाप, हीमोग्लोबिन स्तर, शुगर लेवल आदि की विस्तृत जांच की गई। प्रयोगशाला तकनीशियन रजनी रानी ने बताया कि इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के खून की जांच कर कुपोषण जैसी समस्याओं की समय रहते पहचान की जाती है, ताकि उन्हें समय पर उचित परामर्श और पोषण सहायता मिल सके। इसके अतिरिक्त शिविर में डेंगू बुखार से संबंधित जांच भी की गई। किसी भी प्रकार के बुखार या लक्षण दिखाई देने पर तुरंत रक्त जांच कराने की अपील की गई है।

महिला चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि गर्भावस्था की दूसरी ओर तीसरी तिमाही में सभी गर्भवती महिलाओं को कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जांच अवश्य करवानी चाहिए।

इस अभियान को सफल बनाने में महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित पूरे चिकित्सा दल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वास्थ्य केंद्र द्वारा महिलाओं को जागरूक करते हुए उन्हें उचित पोषण, नियमित जांच और स्वच्छता के प्रति सजग रहने की सलाह दी गई।

पहले कम रेटों में सफाई ठेका लिया, फिर खड़े किये हाथ

कर्मियों का लघु सचिवालय में धरना, सफाई ठेके की मांगी जांच

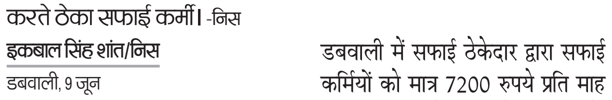
डबवाली में लघु सचिवालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने में नारेबाजी करते ठेका सफाई कर्मी। -निस

इकबाल सिंह शांत/निस

डबवाली, 9 जून

नगर परिषद द्वारा शहर में लगभग आधे रेटों पर सफाई ठेका बड़ा मसला बन गया है। कम रेटों के चलते सफाई ठेकेदार द्वारा हाथ पीछे खींच ठेका रद्द कर गया। करीब 50-55 प्रतिशत कम रेट के टेंडर से नगर परिषद डबवाली की कार्यप्रणाली विवादों में घिर गयी है। ठेकेदार द्वारा रखे गये 62 पुरुष व महिला ठेका सफाई कर्मचारियों ने बेरोजगारी के चलते संघर्ष शुरू कर दिया है। सोमवार को लघु सचिवालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना लगा दिया। उन्होंने वाल्मीकि चौक से लघु सचिवालय तक रोष प्रदर्शन भी किया। धरनारत ठेका सफाई कर्मियों ने सरकार से सफाई ठेका प्रथा बंद कर तनखाह/डीसी रेट कार्य की मांग की है। उक्त विषय में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व उपायुक्त सिरसा व डीएमसी को मांग-पत्र भेजा है। रविन्द्र, गुरदीप सिंह, कृष्ण कुमार, अमित कुमार पुहाल, मोहित व साहिल का आरोप है कि श्रम विभाग की नियमावली के मुताबिक एजेंसी अथवा सेवा प्रदाता आधार कर्मियों का न्यूनतम वेतन 11300 रुपये है, जबकि ईपीएफ अतिरिक्त है। इससे कम तनखाह देना संगीन जुर्म है, जबकि डबवाली में सफाई ठेकेदार द्वारा सफाई कर्मियों को मात्र 7200 रुपये प्रति माह दिए जा रहे थे। उन्होंने नियमों के मुताबिक वेतन व नगर परिषद डबवाली द्वारा बेहद कम रेट पर दिए सफाई ठेके की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

नगर परिषद का कोई लेना-देना नहीं : ईओ

नगर परिषद के ईओ सुरिन्दर का कहना है कि एक ठेकेदार ने करीब 50-55% कम रेट पर विभिन्न हिस्सों का सफाई ठेका लिया था। वह ठेका रद्द कर गया। ठेकेदार ने ये सफाई कर्मी रखे थे, नगर परिषद का इसमें कोई लेना-देना नहीं है।

कम रेट पर सफाई ठेकों से घोटाले के संकेत : विधायक

विधायक आदित्य देवीलाल ने कहा कि सफाई कर्मियों को कम वेतन देने का मामला गंभीर है। सरकार द्वारा बहुत ही कम रेट पर सफाई के ठेके दिए गए हैं, जो किसी घोटाले की ओर इशारा कर रहा है, इसका पर्दाफाश करने के लिए वह तथ्य जुटा रहे हैं। वहीं, रामां रिफाइनरी से होने वाले प्रदूषण से कई सीमावर्ती गांवों के लोगों को परेशानी होने पर मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह मामला पहले भी उन्होंने अधिकारियों के समक्ष उठाया है, इसकी स्थायी समाधान कराने का प्रयास करेंगे।

हड़ताल की तैयारी को लेकर मीटिंग आयोजित

बरवाला(हिसार), 9 जून (निस)

ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ की राज्य कार्यकारिणी मीटिंग कर्मचारी भवन में प्रधान अश्वनी पुनिया की अध्यक्षता में हुई संचालन सचिव राधेश्याम वर्मा ने किया। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर पहले से प्रस्तावित 9 जुलाई की राष्ट्रीय हड़ताल की तैयारी को लेकर बिजली कर्मचारी यूनियन की मीटिंग को सम्बोधित करते हुए राज्य कैशियर सुरेंद्र, राज्य उपप्रधान जगमिंदर, सूबे सिंह कादियान, दलीप ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार कर्मचारी, किसान, मजदूर के हितों के साथ कुठाराघात कर रही है।

Form No. 3 [See Regulation-13 (1) (a)]

ऋण वसूली अधिकरण, चंडीगढ़ (DRT 2)

प्रथम तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़
(तृतीय एवं चतुर्थ तल पर अतिरिक्त स्थान भी अलाट)
ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) रूल्ज़, 1993 के रूल 5 के उप-रूल (2 ए) की सहपठित धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत सम्मन

केस नं. OA/24/2025 **Exh. No. 26714**

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड बनाम रविन्दर एवं अन्य

सूचना बनाम : (1) प्रतिवादी नं. 1, रविन्दर 13 ब्लाक-2, बन मंदोरी 13 बन मंदोरी फतेहाबाद-125053, हरियाणा (2) प्रतिवादी नं. 2-महाबीर 135 ब्लाक-2, बन मंदोरी 13 बन मंदोरी फतेहाबाद-125053, हरियाणा (सह-कर्जदार) (3) प्रतिवादी नं. 3- कुलदीप कुमार बन मंदोरी फतेहाबाद-125053 हरियाणा-(गारंटर)

सम्मन

यतः OA/24/2025 को माननीय सभापति/रजिस्ट्रार के समक्ष 31.05.2025 के लिए लिस्टिड किया गया।

यतः इस माननीय अधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 19(4) के तहत उक्त आवेदन पर नोटिस/सम्मन जारी किया जा रहा है। **रु. 2086155.32/-** के ऋणों की वसूली हेतु आपके प्रति (ओए) दर्ज किया गया है (दस्तावेजों आदि की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न)। अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुरूप आप, प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं :- **(i)** सम्मन की तामील होने के 30 दिनों के भीतर कारण बताओ कि क्यों आवेदित राहत हेतु ग्रांट न दी जाए; **(ii)** मूल आवेदन के क्रमांक 3 ए के तहत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट परिसम्पत्तियों तथा प्रॉपर्टियों के अतिरिक्त परिसम्पत्तियों या प्रॉपर्टियों का विवरण बताने के लिए; **(iii)** आपको प्रॉपर्टियों की अटेचमेंट के लिए आवेदन की डिस्पोज़ल तथा लम्बित सुनवाई, मूल आवेदन के क्रमांक 3 ए के तहत बताई गई परिसम्पत्तियों तथा प्रॉपर्टियों या सुरक्षित परिसम्पत्तियों को डिस्पोज़ ऑफ करने या उसका लेन-देन करने से रोका जाता है। **(iv)** ट्रिब्यूनल से पूर्व अनुमति लिए बिना मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के तहत निर्दिष्ट या प्रदर्शित अन्य परिसम्पत्तियों तथा प्रॉपर्टियों तथा/या सिक्योरिटी इंट्रस्ट वाली किसी भी सम्बद्ध परिसम्पत्ति पर बिजनेस की साधारण प्रक्रिया को छोड़कर सेल, लीज़ या किसी अन्य विधि से हस्तांतरण करने पर आप पर प्रतिबंध रहेगा। **(v)** आप को बिजनेस की साधारण प्रक्रिया के परिपालन में सुरक्षित परिसम्पत्तियों या अन्य परिसम्पत्तियों एवं प्रॉपर्टियों की बिक्री के माध्यम से बिक्री राशि प्राप्त करने के बाद उक्त परिसम्पत्तियों के संबंध में सिक्योरिटी इंट्रस्ट रखने वाले वित्तीय संस्थानों या बैंक द्वारा मेन्टेन किए गए खाते में प्राप्त बिक्री राशि को जमा करवाना होगा।

आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आवेदक को एक प्रति जमा करवाने सहित लिखित स्टेटमेंट दर्ज करवायी जाए तथा **13.08.2025 को पूर्वा. 10.30 बजे रजिस्ट्रार** के समक्ष पेश हों अन्यथा आप की अनुपस्थिति में आवेदन पर सुनवायी करके निर्णय ले लिया जाएगा। **आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर व ट्रिब्यूनल के मुद्रांक के तहत जारी।**

DI-6311 **हस्ता./- सम्मन जारी करने वाले अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर।**

---

pnb Housing Finance Limited
Ghar Ki Baat

परिशिष्ट IV-ए- अचल प्रापर्टियों की ई-नीलामी सार्वजनिक बिक्री सूचना

सिक्योरिटी इंट्रस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्ज़, 2002 के रूल 8 (6) की व्यवस्थाओं के साथ पढ़े जाने वाले सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंट्रस्ट एक्ट, 2002 अधीन अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

पंजी. कार्यालय : 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

एससीओ 9 एवं 10, द्वितीय मंजिल, सेक्टर-66-ए, मोहाली, पंजाब-140306

सर्वसाधारण व विशेषतः कालम नं.-ए में वर्णित कर्जदारों/गारंटरों को सूचित किया जाता है कि कालम नं.-डी में वर्णित अचल प्रापर्टियां सुरक्षित क्रेडिटर के पास गिरवी/चार्ज्ड हैं, जिसका **मै. पीएनबी हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड (PNB HFL)** के अधिकृत अफसर/सुरक्षित क्रेडिटर द्वारा (कालम नं.-सी में वर्णित) कन्सट्रक्टिव/फिजिकल कब्जा ले लिया गया है और इन्हें निम्न विवरणानुसार **''जैसे है जहां है'' ''जो भी है''** आधार पर बेचा जाएगा। अंततम संशोधित सिक्योरिटी इंट्रस्ट एनफोर्समेंट रूल्ज़, 2002 के रूल 8(6) और 9 अधीन कालम-ए में वर्णित संबंधित कर्जदारों/मोर्टगेजरों (अब मृतक), जैसा भी मामला हो, के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों (मालूम या नामालूम), एग्जीक्यूटर, प्रशासक, उत्तराधिकारियों, एसाइनियों को नोटिस जारी किया जाता है। बिक्री की विस्तृत शर्तों, प्रतिबंध के लिए **मै. पीएनबी हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड** में सुरक्षित क्रेडिटर की वेबसाइट **www.pnbhousing.com** पर प्रदान किए लिंक का अवलोकन करें।

लोन नं./ कर्जदार का नाम सह-कर्जदार/ गारंटर/ कानूनी वारिस का नाम (ए)	अपेक्षित राशि एवं तिथि (बी)	कब्जे की किस्म (सी)	गिरवी प्रापर्टी का विवरण (डी)	आरक्षित कीमत (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली जमा कराने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि दर (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि व समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/ अदालती मामले, यदि हों (के)
HOU/CHD/0119/637347, रवि कुमार, श्रीमती अमरजीत, बी.ओ. : चंडीगढ़	**रु. 28,84,845.69/- (रुपये अट्ठाईस लाख चौरासी हजार आठ सौ पैंतालिस तथा पैसा उनसठ) 15.12.2022 के अनुसार देय**	**भौतिक**	मकान नं. 53, M0105000TK100176, गांव टगरां कंगन (Tagran Kangan) कालका, जिला पंचकूला, हरियाणा भारत-134118	**रु. 775,000**	**रु. 77,500**	**23.06.25**	**रु. 10,000.00/-**	**12.06.2025 सुबह 10.00 बजे से सायं 05.30 बजे तक**	**24.06.2025 अप. 02:00 बजे से अप. 03:00 बजे तक**	**केस पीएलए पंचकूला में दर्ज, एप्लीकेशन नं. 1338, श्री रवि कुमार द्वारा**

*** भुगतान की तिथि तथा/या उसकी वापसी तक खर्च हुए आकस्मिक खर्चों, लागत, चार्जिज़ इत्यादि सहित लागू होने के अनुसार 18% वार्षिक भविष्य के ब्याज सहित। ** पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं सूचना के अनुसार कालम नं.-K में वर्णित को छोड़कर उक्त अचल/सुरक्षित परिसम्पत्ति के संबंध में कोई भी दायित्व/दावा नहीं है। इस तरह के किसी भी उजागर होने वाले दायित्व का भुगतान सफल खरीददार/बोलीदाता को खुद करना होगा। प्रस्तावित खरीददार/बोलीदाताओं को प्रार्थना की जाती है कि वे उक्त दायित्वों की स्वतंत्र रूप में जांच कर लें।**

1. आज तक, कालम नं.-K में वर्णित उक्त अचल प्रापर्टीज़/सुरक्षित परिसम्पत्ति को बेचने, पृथक करने तथा/या निपटारा करने से पीएनबी एचएफएल के अधिकारी पर कोई भी रोक आदेश तथा/या न्यायालय आदेश नहीं है। **2.** प्रस्तावित खरीददार/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां पेशकश देने या निविदा/बोली आवेदन प्रपत्र जमा करवाने से पूर्व कालम नं.-के में वर्णित प्रक्रिया/पारित आदेशों आदि, यदि हो, जोकि PNBHFL के पास उपलब्ध दस्तावेजों के टाइटल तक ही सीमित नहीं है, की प्रक्रियाओं का स्वतंत्र निरीक्षण कर सकते हैं। बोलीदाता को बोली प्रपत्र सहित इस नीलामी की शर्तों एवं प्रतिबंधों पर हस्ताक्षर करना होगा। **3.** कृपया नोट करें कि सिक्योरिटी इन्ट्रस्ट (इनफोर्समेंट) रूल्ज़, 2002 के नियम 9(3) के अनुरूप, बोलीदाता/खरीददार उसी दिन या अधिकतम अगले कार्यदिवस को बिक्री मूल्य का 25% (धरोहर राशि, यदि कोई जमा करवायी गई हो, सहित) जमा करवाने के लिए कानूनी तौर पर बंधक है। बिक्री की पुष्टि सिक्योरिटी इन्ट्रस्ट (इनफोर्समेंट) रूल्ज़, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित क्रेडिटर द्वारा बिक्री कीमत के 25% की प्राप्ति के बाद ही बोलीदाता के पक्ष में की जाएगी। बिक्री राशि का शेष 75% बिक्री पुष्टि पत्र की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर खरीददार द्वारा जमा करवाया जाए, अन्यथा प्रापर्टी/सुरक्षित परिसम्पत्ति को पुनः बेचा जाएगा। **4. मै. सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कार्पोरेट कार्यालय - प्लाट नं. 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर-44, गुड़गांव, हरियाणा-122003 वेबसाइट- www.bankeauctions.com) ई-नीलामी द्वारा बिक्री आयोजित करने में अधिकृत अधिकारी की सहायता करेगी। प्रापर्टी के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने से संबंधित सहायता हेतु तथा किसी अन्य पूछताछ हेतु या रजिस्ट्रेशन हेतु आपको निम्न से को-आर्डिनेट करना होगा : Tarsem Kumar, Ashish Kumar Sharma, Kishore Kumar Toll Free No:- 1800 120 8800, E-mail : auction@pnbhousing.com, is authorised Person of PNBHFL or reter to www.pnbhousing.com**

स्थान : हरियाणा दिनांक : 10.06.2025 DI-6330 **हस्ता./- अधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फायनांस लिमिटेड।**

SBI

स्टेट बैंक आफ इंडिया

स्ट्रेस्ड एसेट्स रिकवरी ब्रांच, # 40 एसडीए कम्प्लेक्स, जोनल कार्यालय इमारत, कसुम्पटी,
शिमला-171009, फोन नं. 0177-2626796, 2626795, ई-मेल : sbi.18185@sbi.co.in

ई-नीलामी बिक्री सूचना

चल/अचल प्रापर्टियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

ईएमडी तथा दस्तावेजात (ऑनलाइन) जमा करवाने की अंतिम तिथि व समय : अग्रिम रूप में

नियम 6 (2) एवं 8 (6) की व्यवस्था देखें, अचल प्रापर्टीज़ की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

सिक्योरिटी इन्ट्रस्ट (इनफोर्समेंट) रूल्ज़, 2002 के नियम 6 (2) एवं 8 (6) की व्यवस्था के साथ पढ़े जाने वाले सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल एसेट्स एंड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रस्ट एक्ट, 2002 अधीन अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

सामान्य जनता तथा विशेष तौर पर कर्जदार तथा गारंटर को सूचित किया जाता है कि सुरक्षित क्रेडिटर के पास गिरवी/बंधक/चार्ज्ड/मोर्टगेज्ड निम्न दर्शाई चल/अचल प्रापर्टियां, जिनका कंस्ट्रक्टिव/फिजिकल कब्जा **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया** के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को कर्जदार तथा गारंटर (निम्न दर्शाए अनुसार) से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ड्यू वसूली (निम्न दर्शायी) तिथि को **'जहां है जैसी है', 'जहां है जो है' तथा 'जो भी है'** आधार पर सुरक्षित क्रेडिटर द्वारा बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा एवं इंक्रिमेंटल जमा राशि को प्रत्येक प्रापर्टी के प्रति दर्शाया गया है। बिक्री की विस्तृत शर्तों एवं प्रतिबंधों के लिए कृपया सुरक्षित क्रेडिटर की वेबसाइट **https://www.sbi.co.in** में प्रदान लिंक देखें।

अचल प्रापर्टीज़ का विवरण

क्रम सं.	कर्जदार/गारंटर का नाम	अचल प्रापर्टी का विवरण	डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया राशि	ई-नीलामी की तिथि व समय
1.	**कर्जदार : श्री पुष्प पाल सिंह** पुत्र सेवा सिंह, गांव एवं डाकघर सुरारवान (Surarwan) (घगवान), तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा-176401 (हि.प्र.)	जमीन एवं बिल्डिंग की पंजी. मोर्टगेज, खाता नं. 112, खतौनी नं. 194, खसरा नं. 332, 336, 343, 1490/343/1, 352, 554, 555, 679, 791, 833, 835, कित्ता 11 में शामिल, जमीन माप 0-70-77 एचएम, इसका हिस्सा 396/7077 जमीन माप 0-03-96, एचएम, टिक्का (Tikka) तथा मौजा Upperli-Wand, तहसील इंदोरा में स्थित, वर्ष 2005-2006 हेतु जमाबंदी के तहत। **PROPERTY ID : SBINPUSHPPAL**	**Rs. 26,17,226/-** as on **31.12.2023** plus further interest, incidental expenses and other charges etc. **(UNDER PHYSICAL POSSESSION)**	**02.07.2025 11:00 HRS. TO 16:00 HRS.**
	● Reserve Price: Rs. 24,96,000/- ● EMD Amount: Rs. 2,49,600/- ● Bid Increase Amount: Rs. 10,000/- DATE OF INSPECTION: 27.06.2025			

यह प्रकाशन उक्त कर्जदारों और गारंटरों के लिए सिक्योरिटी इन्ट्रस्ट (इनफोर्समेंट) रूल्ज़ 2002 के रूल 6(2) तथा 8(6) के तहत 15 दिन का नोटिस भी है।

प्रतिबंध व शर्तें : ई-नीलामी बैंक के मान्य सर्विस प्रोवाइडर द्वारा की जाएगी : **M/s PSB Alliance Pvt. Ltd.** throough its auction site ऑनलाइन ई-नीलामी बोली फार्म, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य प्रतिबंध व शर्तों सहित ई-नीलामी निविदा दस्तावेज यहां उपलब्ध हैं। इच्छुक बोलीकारों को वेबपोर्टल पर ईएमडी जमा करानी होगी (यूजर आईडी और पासवर्ड को लॉगइन आईडी और पासवर्ड द्वारा नाम रजि. कराते हुए निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। केवाईसी निःशुल्क जांच की जाएगी। बोलीकारों द्वारा अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड किए जाएं जिनकी **M/s PSB Alliance Pvt. Ltd.** द्वारा पड़ताल की जाएगी, जिसमें 2 कार्य दिवस लग सकते है। ईएमडी को इसके नीलामी स्थल पर **M/s PSB Alliance Pvt. Ltd.** के साथ रजि. बोलीकार के अपने वालेट से NEFT/RTGS द्वारा जमा करवाना होगा। विस्तृत प्रतिबंध व शर्तों के लिए **M/s PSB Alliance Pvt. Ltd.** का संदर्भ लें। सुरक्षित क्रेडिटर की नजर में संपत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है तथापि ऋणभार, प्रॉपर्टी के टाइटल और प्रॉपर्टी के प्रति दावे/अधिकार/बकाया आदि के बारे में बोलीकार बोली जमा कराने से पहले अपनी पड़ताल कर सकते हैं। ई-नीलामी विज्ञापन को बैंक की किसी प्रतिबद्धता या किसी प्रतिनिधिता को दर्शाना नहीं माना जाए। प्रॉपर्टी को बैंक को ज्ञात या अज्ञात मौजूदा या भविष्य के ऋणभार सहित बेचा जाएगा। अधिकृत अफसर/सुरक्षित क्रेडिटर किसी मुद्रण त्रुटि या किसी थर्ड पार्टी/क्लेम/अधिकार/बकाये के प्रति किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होंगे। बिक्री **https://baanknet.com/& https://www.sbi.co.in** अधीन निर्धारित नियम/शर्तों के अनुरूप होगी।

अधिकृत अधिकारी, मोबा. : 98151-41477

तिथि : 09.06.2025 DI-6350 **स्थान : शिमला (हि.प्र.)** **अधिकृत अधिकारी।**